

# प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 22.10.2024

## सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष पिपराईच के नेतृत्व में 30नि0 अम्बरीश बहादुर राजभर मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 835/2024 धारा 299, 353, 196 भा0न्या0सं0 से संबंधित रूप नारायण यादव उर्फ साधू यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रूप नारायण यादव उर्फ साधू यादव पुत्र नेबूलाल यादव निवासी चकजलाल थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 835/2024 धारा 299, 353, 196 भा0न्या0सं0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 428/2019 धारा 323, 379, 504, 506 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तार की टीम-

1. 30नि0 अम्बरीश बहादुर राजभर थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।
2. का0 शैलेश प्रताप आनन्द थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।
3. का0 बृजेश यादव थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।